

10.03.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मुल वादी पत्र डिकी हो गया। मूल वाद पत्र डिकी होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र डिकी होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे स्थगन आदेश दिनांक 28.08.2024 को वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

01/02
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

